

फर्द अहकाम

बनाम

रामपाल / रामजीलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 2023/239

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

7/8/24

पत्रावकी पेशा / क्रीड पक्षकट 25/8/24
 लागू बरतल सिद्धांत 25/8/24
 की पेशा हो

उप सखंड अधिकारी
 बस्सी जिला जयपुर

25/8/24

पत्रावकी पेशा की कार्यवाही
 न्यायालय/कार्यवाही करने
 के कारण कार्यवाही नहीं की जा
 सके। कार्यवाही दिनांक 25/8/24
 को पेश की

15/9/25

प्रकरण में शर्चना पत्र बाबत
 मिश्रल तलब पेश होने के उपरान्त
 पत्र मिश्रल तलब पर सुनने/जात
 स्वीकार होने पर पत्रावकी पूर्व
 नियत तारीख पेशी 15/9/25
 से तलब होकर आज पेशा
 हुई। वादी न्यायालय हाजा में
 उपस्थित होकर कार्यवाही पर
 अपने हस्ताक्षर अंकित किये,
 जिसकी पहचान वादी अधिवक्ता
 द्वारा श्री सुधीर शर्मा द्वारा
 की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकृत
 पत्र बाबत वादपत्र को रजिनाम

फर्द अहकाम

बनाम

रामपाल / रामजीलाल

नाम न्यायालय

संख्या 2023/239

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

की रकम से विद्वो किये
 जाने हेतु पेशा किया।

वादी अधिवक्ता को प्रकृत
 पत्र बाबत वादपत्र को विद्वो
 पर सुना गया।

शर्चना पत्र बाबत वादपत्र
 विद्वो को न्यायालय में स्वीकार
 किया आज ही शर्चना पत्र
 विद्वो को स्वीकार होने पर
 वादपत्र को इसी स्तर पर
 खारिज किया आज ही
 पत्रावकी नम्बर से कम होकर
 दाखिल दफ्तर हो

उपसखंड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर